

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक-941 /14-1 (कैम्प चन्दौसी) दिनांक- 9/11 /2015
सेवा में,


वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

बिषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के किमी0 142-220 से किमी0 205 तक दोलेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3777 वाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद सम्भल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 93 अलीगढ़-मुरादाबाद खण्ड के किमी0 142-220 से किमी0 205 तक दोलेन चौड़ीकरण कार्य हेतु 32.7792 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3777 वाधक वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव चार प्रतियों में आपको संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है। अतः महोदय प्रस्ताव उच्च स्तर को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रस्ताव प्रभागीय वन प्रभाग, सम्भल।
आत हासिल रूपले 5 वर दिनांक 11/11/2015
संलग्नक- प्रस्ताव की चार प्रतिया।


भवदीय,


(एम0 पी0 सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या:- / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एम0 पी0 सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।